


झारखंड मंत्रिमंडल शपथ लेगा

चर्चा में क्यों?

झारखंड के 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में दस मंत्री **पद की शपथ** लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह रांची के राजभवन में होगा।

प्रमुख बिंदु

- राज्यों में **मंत्रपरिषद** का गठन और कार्य उसी प्रकार होता है जैसे केंद्र में मंत्रपरिषद का होता है (**अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164**)।
- अनुच्छेद 163** में कहा गया है कविकाधीन शर्तों को छोड़कर, **राज्यपाल** को अपने कार्यों के नरिवहन में सहायता और सलाह देने के लिये **मुख्यमंत्री** की अध्यक्षता में एक मंत्रपरिषद होगी।
 - वविकाधीन शक्तियों में शामिल हैं**
 - राज्य वधान सभा में कसिी भी पारटी को स्पष्ट बहुमत न मलिनने पर मुख्यमंत्री की नयुक्त
 - अवशिवास प्रसताव** के समय
 - राज्य में संवैधानिक तंत्र की वफिलता के मामले में (**अनुच्छेद 356**)
- संवधान के **अनुच्छेद 164** के तहत **मुख्यमंत्री की नयुक्ता राज्यपाल द्वारा कसिी की सलाह के बनिा की जाती है।** लेकनि वह वयक्तगत मंत्रियों की नयुक्ता **मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है।**
 - अनुच्छेद का तात्पर्य यह है क राज्पल **अपने वविक के अनुसार कसिी वयक्त को मंत्री नयुक्त नहीं कर सकता।** इसलिये राज्पल कसिी मंत्री को केवल **मुख्यमंत्री की सलाह पर ही बरखास्त कर सकता है।**



राज्यपाल

परिचय

- केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा शासन प्रमुख प्रधानमंत्री, उसी तरह राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल तथा शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है।
- राज्यपाल राज्य के मुखिया (मुख्यमंत्री) की सलाह से कार्य करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
- संविधान के अनुसार, एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

कार्यकाल

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत वह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्वत पद धारण करेंगे।
- सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर सेवा से मुक्त हो सकता है।
- राष्ट्रपति, राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिये पुनः नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् नए राज्यपाल को नियुक्ति तक वह अपने पद पर बना रहता है।

राज्यपाल पद से संबंधित चुनौतियाँ

- राज्यपाल को भूमिका राज्य के संवैधानिक प्रमुख से अधिक केंद्र के एजेंट के रूप में परिस्थित होती है।
- ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 163 राज्यपाल को शिवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है अर्थात् राज्यपाल स्वविकेक संबंधी कार्यों में मंत्रपरिषद का सुझाव मानने के लिये बाध्य नहीं होगा।
- राज्यपाल को नियुक्ति और उसकी बख्तास्गी को प्रक्रिया भी अखंत विवादस्पद है।
- केंद्र व राज्य में विपरीत सरकारें होने की स्थिति में भी राज्यपाल पद का दुरुपयोग किया जाता है।

राज्यपालों की भूमिका पर सभितियाँ व आयोग

केंद्र-राज्य संबंधों पर अब तक तीन आयोग और दो सभितियाँ गठित की जा चुकी हैं-

- 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग
- 1969 में राजमन्तार सभिति
- 1970 में भगवन् सहाय सभिति
- 1988 में सरकारिया आयोग
- 2011 में पुंठी आयोग

समितियों व आयोगों की अनुशंसाएँ

- राज्यपाल को नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से हो इसके लिये संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन किया जाए।
- राज्यपाल द्वारा अपने शिवेक के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का पर्याप्त स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।
- इस संवैधानिक प्रावधान को तत्काल निरस्त कर देना चाहिये कि मंत्रपरिषद राज्यपाल के प्रसादपर्वत पद धारण करेंगी।
- विधानसभा में यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाना चाहिये और अधिवेशन में बहुमत से चुने गए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिये।
- राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से होना चाहिये।

योग्यताएँ

- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ का पद न धारण करता हो।
- वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिये। यद्यपि ऐसा है तो राज्यपाल बनने पर उसी तिथि से उसका संसद अथवा विधानसभा से सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/jharkhand-cabinet-to-take-oath>

